प्रेषक,

डा0 रजनीश दुबे,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय,
लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 20 दिसम्बर, 2018

विषयः- "अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय परिसर, किंग जार्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, लखनऊ ऐट बलरामपुर" की स्थापना हेतु भूमि क्रय के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-148/2018/3607/71-2-2018-287/2017टी0सी0, दिनांक 13-12-2018 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा "अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय परिसर, किंग जार्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, लखनऊ ऐट बलरामपुर" की स्थापना के संबंध में मेडिकल कालेज के निर्माण हेतु ग्राम-सिरसिया में स्थिति भूमि कुल-11 किता, क्षेत्रफल 2.087 हेक्टेयर तथा ग्राम-खगईजोत में स्थिति कुल 07 किता, क्षेत्रफल 0.463 हेक्टेयर एवं ग्राम-महादेव मिश्र की कुल 9 किता, क्षेत्रफल-2.472 हेक्टेयर अर्थात कुल 5.022 हे0 भूमि (जैसा कि जिलाधिकारी, बलरामपुर के पत्र संख्या-1429/डी0एल0आर0सी0/चि0शि0/2018, दिनांक 06-12-2018 में अंकित है) जो राजस्व अभिलेखों में विभिन्न निजी खतेदारों के नाम दर्ज है, को उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 तथा राजस्व विभाग के शासनादेश संख्या-2/2015/215/एक-13-2015-20(48)/2011, दिनांक 19 मार्च, 2015 तथा अन्य सुसंगत शासनादेशों के अनुसार निजी काश्तकारों से आपसी सहमति/समझौते के आधार पर नियमानुसार क्रय कर चिकित्सा शिक्षा विभाग के नाम दर्ज किये जाने के आदेश निर्गत किये गये है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि "अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय परिसर, किंग जार्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, लखनऊ ऐट बलरामपुर" की स्थापना हेतु निजी काश्तकारों की उपर्युक्त भूमि नियमानुसार क्रय किये जाने हेतु रू0 5,00,00,000/- (रू0 पॉच करोड मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने पर राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

1) अवमुक्त धनख्राशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को आहरित बैक/डाकघर/पी0एल0ए0 आदि में नहीं रखा जायेगा।
2) वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30-3-2018 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन किया जायेगा।
3) निजी काश्तकारों की भूमि क्रय के सम्बन्ध में सेटेलाईट कैम्पस के अंतर्गत हास्पिटल की स्थापना हेतु ग्राम-महादेव मिश्र में अवस्थित निजी काश्तकारों की भूमि क्रय किये जाने की प्राथमिकता प्रदान की जाय।

3- धनराशि को कोषागार से वित्त नियंत्रक, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ द्वारा आहरित किया जायेगा एवं बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे। वित्त नियत्रंक के0जी0एम0यू0 द्वारा आहरित ध्नराशि निजी काश्तकारो की भूमि क्रय किये जाने हेतु जिलाधिकारी, बलरामपुर को उपलब्ध करायी जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक अनुमान अनुदान संख्या-31-चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के पूंजी लेखा लेखाशीर्षक ''4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-03-चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-77-जनपद-बलरामपुर में के0जी0एम0यू0 के सेटेलाईट सेन्टर-24-वृहत निर्माण कार्य'' के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-3/2490/दस-2018, दिनांक 20 दिसम्बर, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(डा0 रजनीश दुबे)
प्रमुख सचिव।

संख्या-150/2018/3663(1)/71-2-18-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. जिला अधिकारी, जनपद-बलरामपुर।
4. अपर जिला अधिकारी वित्त/राजस्व, जनपद-बलरामपुर।
5. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
6. मुख्य कोषाधिकारी, जनपद-लखनऊ।
7. वित्त अधिकारी, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कुलदीप कुमार रस्तोगी)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।